प्रेषक

जिलाधिकारी
देहरादून।

सेवा में,

श्री राहुल वर्मा,
अतिरिक्त अधिवक्ता,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

संख्या– 101 /एल.बी.सी./2023 दिनांक 29 मई, 2023

**विषयः–** **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवदेन सख्या–920/2022 मीनाक्षी अरोड़ा बनाम् उत्तराखण्ड राज्य के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवदेन सख्या–920/2022 मीनाक्षी अरोड़ा बनाम् उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 05.01.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसकी प्रति इस कार्यालय को अनुपालनार्थ प्रेषित की गयी है।

उक्त संबंध में उपजिलाधिकारी सदर देहरादून के पत्र संख्या–37 दिनांक 20.05.2023 के साथ संलग्न संयुक्त टीम की निरीक्षण आख्या दिनांक 28.02.2023 निम्नवत् हैः–

ग्राम धनोला तहसील सदर, देहरादून में स्थित भूमि खसरा संख्या 171क 3.031 हेक्टेयर भूमि नदी श्रेणी 6 (3) बाल्दी नदी व 0.405 हेक्टेयर श्री वीरेन्द्र अरोरा पुत्र हरि चरण अरोरा निवासी 197/3 लंढौर बाजार मसूरी के नाम संक्रमणीय भूमिधरी के रुप में अंकित चली आ रही है, साथ ही खसरा संख्या 171ख 0.081 हेक्टेयर भूमि पर श्री विरेन्द्र अरोरा का नाम संक्रमणीय के रुप में दर्ज है, इस प्रकार प्रश्नगत स्थल पर श्री वीरेन्द्र सिंह द्वारा अपने अपने नाम पर अंकित भूमि का पृथक पृथक खातेदारो को प्लांट के रुप में विक्रय किया है स्थल पर भी उक्त भूमि 0.486 हे0 भूमि पर प्लाटो की नीव भरी हुयी है तथा कुछ भूमि स्थल पर खाली पड़ी हुयी है श्री वीरेनद्र सिंह द्वारा अपनी भूमि के सामने बाल्दी नदी के किनारो पर पुख्ता पत्थरो से निर्मित दिवार का निर्माण बिना किसी विभागीय अनुमति के कर लिया गया है। इस संबंध में श्री वीरेन्द्र सिंह से पूछताछ की गयी तो उनके द्वारा बताया गया कि अपनी भूमि को बरसाती पानी द्वारा कटाव से बचाने के लिये मेरे द्वारा पुख्ता दीवार (पत्थर निर्मित) का निर्माण कराया गया है इसके अतिरिक्त भी श्री वीरेन्द्र सिंह के द्वारा कहीं कहीं पर पत्थर की दीवार का निर्माण कराया गया है जिसके स्थलीय फोटोग्राफ संलग्न है। इसके अतिरिक्त श्री वीरेन्द्र सिंह के द्वारा अपनी भूमि 0.486 हे० से अलग नदी की भूमि पर पुख्ता ईटो से नीव भरी गयी है। उक्त सभी अवैध निर्माण को संयुक्त टीम द्वारा चिन्हित किया गया है जिसे हटवाने के लिये वीरेन्द्र सिंह को कहा गया जिसे उनके द्वारा उक्त अवैध निर्माण हटाया जाने का पूर्ण आश्वासन संयुक्त टीम के सम्मुख दिया गया है।

1– अधिशासी अधिकारी सिचॉई खण्ड देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि बाल्दी नदी पर Flood Plain Zone के सर्वेक्षण का कार्य प्रगाति पर है। वर्तमान तक Flood Plain Zoining Notification नहीं हुआ है। नदी तट से खसरा नं–171क मे निर्मित भवन की दूरी 30 मीटर से अधिक पाई गयी।

2— श्री वीरेन्द्र सिंह के द्वारा अपनी भूमि 0.486है0 से अलग **नदी की भूमि पर पुख्ता ईटों से नीव भरी गई है**। व उनके द्वारा (60 x 09) मीटर 540 वर्गमीटर भूभाग पर उक्त अवैध निर्माण किया गया है जिसके ध्वस्तीकरण के लिये उप जिलाधिकारी (सदर) देहरादून को निर्देशित किया गया है।

अतः उक्त संयुक्त टीम की निरीक्षण आख्या दिनांक 28.02.2023 की छायाप्रति संलग्न कर सादर प्रेषित है।

संलग्न—यथोपरि

भवदीय,

**(डॉ0 शिव कुमार बरनवाल)**
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
देहरादून।

AnyScanner

महोदय,

संलग्न पत्र कार्यालय जिलाधिकारी महोदय देह. के पत्रांक:- 13/स्थ० बी० सी-2023 दिनांक 11 अप्रैल, 2023 वि मूल आवेदन संख्या-920/2022 मीनाक्षी अरोड़ा बनाम उत्त. राज्य व अन्य के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 5-1-2. के अनुपालन में अवगत कराना है कि उपरोक्त विषयक सम्बन्ध में एक संयुक्त टीम का गठन किया गया था संयुक्त टीम द्वारा 28-2-2023 को टीम द्वारा ग्राम ध. के खसरा संख्या 171 पर अवैध निर्माण को चिन्हित गया है जिसकी संयुक्त जांच रिपोर्ट की छाया प्रति संल. है।

अतः आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

विनोद भण्डारी
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र ..........
तहसील सदर, देहरादून
17/5/2023

महोदय,
रा० उप नि० जांच आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।

19.5.2023
संजय सैनी
राजस्व निरीक्षक
क्षेत्र-रायपुर
तहसील सदर देहरादून

907
898
29.5.23
LBC
रिपोर्ट अप्राप्त है तत्काल मंगायें।

ADM F/R

759

37

ADM F/R

महोदय,
रा० नि० की आख्या सादर प्रेषित।

महोदय,
आपके कार्यालय पत्र सं० 13/LBC-2023 दि० 11.4.2023 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु तहसीलदार (सदर) को निर्देशित किया गया, जिस पर तहसीलदार की आख्या मूल रूप में सूचनार्थ सादर हेतु सादर सम्प्रेषित है।

तहसीलदार सदर
देहरादून

**मा0 राष्ट्रीय सहित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या– 920/2022 मीनाक्षी अरोड़ा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 05.01.2023 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा संयुक्त निरीक्षण आख्या**

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय सहित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या– 920/2022 मीनाक्षी अरोड़ा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 05.01.2023 के बिन्दु संख्या 1 में " Mr. Virendra Singh Arora S/o Harcharan Arora, R/o 197/3, Landour Bazar, Mussoorie, Dehradun, Uttarakhand is raising construction at Khasra No. 171 at Village Dhanaula hich lies at confluence of Song and Baldi Rivers and construction is being raised in flood plains of the said rivers " के अनुक्रम में निम्न अधिकारियों की संयुक्त समिति का गठन किया गया।

1. जिलाधिकारी, देहरादून।
2. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।

प्रकरण के सम्बन्ध में गठित समिति एवं निम्न अधिकारियों/सदस्यों द्वारा प्रकरण सौंग एवं बाल्दी नदी के संगम के समीप बाढ क्षेत्र में श्री वीरेन्द्र सिंह अरोरा द्वारा किये जा रहे निर्माण के सबंध में संयुक्त समिति द्वारा संयुक्त निरीक्षण दिनांक 28.02.2023 को किया गया, जिसमें अधिकारियों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार रहा:–

1. श्री राकेश कण्डारी, सहायक पर्यावरण अभियंता, उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
2. श्री दिनेश चन्द्र उनियाल, अधिशासी अभियन्ता, सिचाई खण्ड, देहरादून
3. श्री संजय सैनी, राजस्व निरीक्षक, देहरादून।

सौंग एवं बाल्दी नदी के संगम के समीप बाढ क्षेत्र में श्री वीरेन्द्र सिंह अरोरा द्वारा किये जा रहे निर्माण के सबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत है–

ग्राम धनोला तहसील सदर, देहरादून में सिथत भूमि खसरा संख्या 171क 3.031 हेक्टेयर भूमि नदी श्रेणी 6(3) बाल्दी नदी व 0.405 हेक्टेयर श्री वीरेन्द्र अरोरा पुत्र हरि चरण अरोरा निवासी 197/3 लंढौर बाजार मसूरी के नाम संक्रमणीय भूमिधरी के रुप में अंकित चली आ रही है, साथ ही खसरा संख्या 171ख 0.081 हेक्टेयर भूमि पर श्री विरेन्द्र अरोरा का नाम संक्रमणीय के रुप में दर्ज है, इस प्रकार प्रश्नगत स्थल पर श्री वीरेन्द्र सिंह द्वारा अपनी अपनी नाम पर अंकित भूमि का पृथक पृथक खातेदारो को प्लांट के रुप में विक्रय किया है स्थल पर भी उक्त भूमि 0.486 हे0 भूमि पर प्लाटो की नींव भरी हुयी है तथा कुछ भूमि स्थल पर खाली पडी हुयी है उक्त श्री वीरेनद्र सिंह द्वारा अपनी भूमि के सामने बाल्दी नदी के किनारो पर पुख्ता पत्थरो से निर्मित दिवार का निर्माण बिना किसी विभागीय अनुमति के कर लिया गया है। इस सबंध में श्री वीरेन्द्र सिंह से पूछताछ की गयी तो उनके द्वारा बताया गया कि अपनी भूमि को बरसाती पानी द्वारा कटाव से बचाने के लिये मेरे द्वारा पुख्ता दीवार (पत्थर निर्मित) का निर्माण कराया गया है इसके अतिरिक्त भी श्री वीरेन्द्र सिंह के द्वारा कही कही पर पत्थर की दीवार का निर्माण कराया गया है जिसके स्थलीय फोटोग्राफ संलग्न है। इसके अतिरिक्त श्री वीरेन्द्र सिंह के द्वारा अपनी भूमि 0.486 हे0 से अलग नदी की भूमि पर पुख्ता ईटो से नीव भरी गयी है। उक्त सभी अवैध निर्माण को संयुक्त टीम द्वारा चिन्हित किया गया है जिसे हटवाने के लिये वीरेन्द्र सिंह को कहा गया जिसे उनके द्वारा उक्त अवैध निर्माण हटाया जाने का पूर्ण आश्वासन संयुक्त टीम के सम्मुख दिया गया है।

AnyScanner

1. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि बाल्दी नदी पर Flood Plain Zoning के सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है। वर्तमान तक Flood Plain Zoning Notification नहीं हुआ है। नदी तट से खसरा नं–171क में निर्मित भवन की दूरी 30 मीटर से अधिक पाई गयी।
2. वीरेन्द्र सिंह द्वारा अपनी भूमि के सामने बाल्दी नदी के किनारो पर पुख्ता पत्थरो से निर्मित दिवार का निर्माण किया गया है।
3. श्री वीरेन्द्र सिंह के द्वारा अपनी भूमि 0.486 हे0 से अलग नदी की भूमि पर पुख्ता ईटो से नीव भरी गयी है।
4. श्री वीरेन्द्र सिंह के द्वारा 60x09 मीटर (540 वर्गमीटर) भूभाग पर उक्त अवैध निर्माण किया गया है। जिसे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही अपेक्षित है।

28/2/2023
विनोद भण्डारी
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र.....
तहसील.....

(संजय सैनी)
राजस्व निरीक्षक,
देहरादून।

(राकेश कण्डारी)
सहा0पर्या0 अभियन्ता
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण
बोर्ड, देहरादून।

AnyScanner

OA-920/2022 MR. VIRENDER SINGH ARORA CONTRUCTION SITE

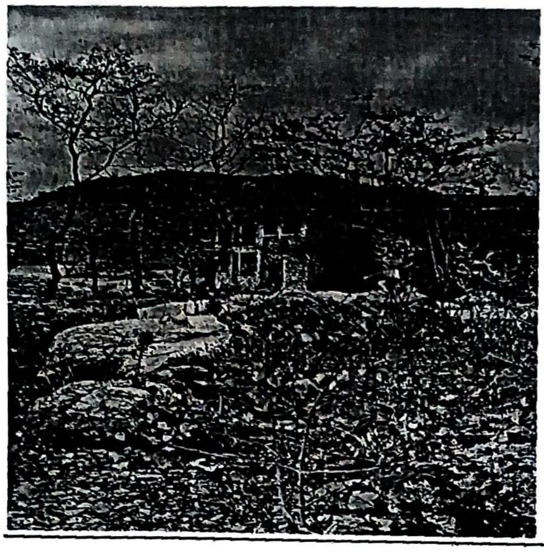

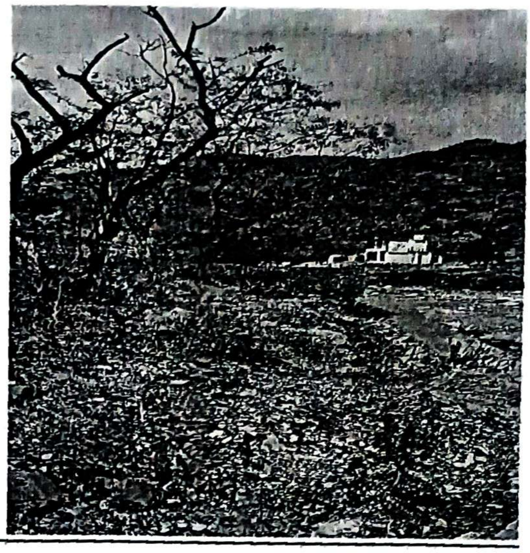

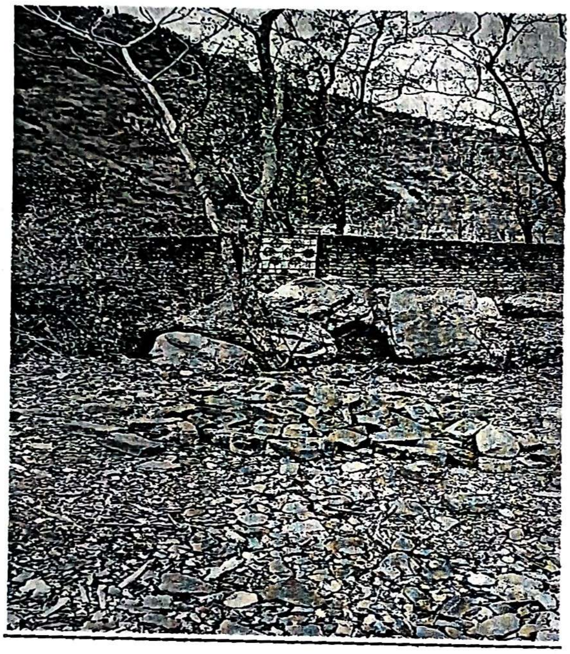

AnyScanner